श्री मधु लिमये : आज यह खत्म होगा या नहीं होगा ।

सभापति महोदय : मिनिस्टर को खत्म तो करने दें । मिनिस्टर साहब जल्दी अपनी स्पीच खत्म करें ।

SHRI M. YUNUS SALEEM : It is not possible to finish my speech in two minutes. I will require at least 15 minutes because ten non. Members have expressed their views. I have to reply to all of them. It is not possible to do it in such a short time.

MR. CHAIRMAN : In that case, we will take it up the next available day.

श्री महाराज सिंह भारती (मेरठ) : हमारे बिलों को खत्म करना चाहते हैं ।

श्री शिव नारायण : यह बड़ी ज्यादती है ।

श्री मधु लिमये : प्रधान मंत्री के बयान के बाद में इसको ले सकते हैं ।

श्री रवि राय (पुरा) : मिनिस्टर साहब तीन चार मिनट में खत्म कर दें । गुप्त जी दो तीन मिनट ले । एक मिनट हमें आप दे दें ।

सभापति महोदय : मिनिस्टर साहब अभी मन्द्रह मिनट और लेंगे ।

श्री मधु लिमये : वह एक घंटा ले सकते हैं ।

श्री रवि राय : क्यों जिद्द करते हैं ?

सभापति महोदय : छः बजे प्रधान मंत्री को स्टेटमेंट देना है जिस का एनाउंसमेंट पहले किया जा चुका है । उसके बाद श्री शास्त्री का हाफ एन आवर है । साढ़े छः बजे तक वह चलेगा । यह मजबूरी है जिसकी वजह से इसको नहीं लिया जा सकेगा ।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : प्रधान मंत्री के ब्यान के बाद आप इस बिल को जल्दी से खत्म कर सकते हैं । हम आधा घंटा और बैठ सकते हैं । हम सात बजे तक बैठ जायेंगे । इनका बिल तब लिया जा सकता है ।

सभापति महोदय : अभी तो नहीं यह आ सकेगा ।

---

18 hrs.

STATEMENT RE. ECONOMIC DEVELOPMENT OF ASSAM

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF PLANNING (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : Mr. Speaker, Sir, there has been a general demand from Assam for the establishment of additional refining capacity in the public sector. The Government of India have always been anxious to promote the accelerated economic development of Assam and have therefore treated Assam on a special basis in allocating Central assistance for its Plans. Government appointed an Expert Committee in April 1969, in order to examine the techno-economic feasibility of locating additional refining capacity in Assam. On consideration of the report of this Committee, Government have now decided that the present refining capacity in Assam should be increased by a little over one million tonnes in the Fourth Plan period, either through expansion or the establishment of an additional refinery, as may be found economically feasible.

The Government of India also recognise the need to take measures for the industrialisation of Assam based among other factors, on its oil resources. Assam crude oil is rich in aromatics which provide the base for the development of petro-chemicals. With the availability of adequate raw materials from the proposed increase in refining capacity, Government have also decided that an integrated DMT/Polyester fibre petro-chemicals complex should be established. Suitable provision for this refining-cum-petro-chemical complex will

[Shrimati Indira Gandhi]

be made in the Fourth Plan now under finalisation.

Assam is rich in various resources and there is scope for the establishment of industries based on forest produce. Government have recently decided on the establishment of a Paper Corporation. This Corporation will be entrusted with the task of putting up a Paper/Pulp Mill in Assam.

The Government of India have also been giving their attention to another problem, namely the periodic ravages caused by floods in the Brahmaputra and its tributaries, which cause considerable concern to the Central as well as the State Government. Government accord high priority to the evolution and implementation of a comprehensive plan of flood control through the agency of a Brahmaputra Flood Control Commission, and have now decided that such a Commission should be set up and provided with adequate resources for the discharge of its responsibility. The State Government will be enabled to make adequate provision for this purpose in the State Plan.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Release those people who courted arrest and who sacrificed for this.

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak) : We support the leader who made this statement.

18.04 hrs

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

USE OF NATIONAL LANGUAGE IN THE HIGH COURTS OF HINDI-SPEAKING STATES

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : (हापुड़) : सभापति महोदय, हिन्दी-भाषी राज्यों में हाई कोर्टों में हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में 21 नवम्बर, 1969 के मेरे एक प्रश्न का जो उत्तर सरकार की ओर से दिया गया, मैं उस पर यह आध घंटे की चर्चा प्रारम्भ कर रहा हूं। इस सम्बन्ध में सब से पहले में सरकार पर अकर्मण्यता और बदनीयती का आरोप लगाना चाहता हूं। "बदनीयती" शब्द का प्रयोग मैंने जान-बूझ कर किया है, क्योंकि इस सरकार में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, जो मंत्रियों के स्तर पर भी हैं और अधिकारियों के स्तर पर भी, जो अब तक जानबूझ कर राष्ट्रीय निर्णयों की उपेक्षा करते रहे हैं। सरकार की ओर से मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है, वह उस का एक उदाहरण है।

मैं इस सदन का ध्यान संविधान के अनुच्छेद 348(2) की ओर दिलाना चाहता हूं। संविधान सभा ने यह निर्णय किया था कि 1965 से पहले ही किसी भी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से यह व्यवस्था कर सकेगा कि हाई कोर्ट स्तर तक के जितने काम हैं, वे हिन्दी में प्रारम्भ किये जा सकें। हाई कोर्ट के निर्णय इस के अन्तर्गत नहीं आते थे। लेकिन डिक्री और आदेश लिखने आदि के बाकी जितने काम होते हैं, वे सब हिन्दी में किये जा सकते थे। सरकार की बदनीयती का सूचक एक तो यह है कि संविधान में निर्णय लेने के बाद भी उस ने 1965 तक उस दिशा में कोई पग नहीं उठाया।

उस के बाद 1963 में राजभाषा अधिनियम इस संसद् में पारित हुआ। उस अधिनियम की धारा 7 के अनुसार संसद् ने यह निश्चय किया था कि

> "नियत दिन से ही या तत्पश्चात किसी भी दिन से किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए, प्राधिकृत कर सकेगा और जहां कोई निर्णय, डिक्री या आदेश (अंग्रेजी भाषा से भिन्न) ऐसी किसी भाषा में पारित किया या दिया जाता है वहां उस के साथ-साथ उच्च न्यायालय के